



कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक) का कार्यालय

याँत्रिक प्रमण्डल, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा।

आगत
वर्ष

22/07/11 3:00

अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या -01 वर्ष 2016-17

27/07/11

* कार्यपालक अभियंता (याँ०), याँत्रिक प्रमण्डल, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा के अधीन वर्ष 2016-17 के लिये अधीक्षण अभियंता (याँ०), याँत्रिक अंचल, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कार्य हेतु एक वाहन यथा विकटा (ए०सी०)/बोलेरो (ए०सी०)/सूमो (ए०सी०)/स्कार्पियो (ए०सी०) ईंधन रहित किराया पर उपलब्ध कराने हेतु मुहर बन्द कोटेशन निम्नांकित शर्तों के साथ आमंत्रित की जाती है जो दिनांक 05/12/2016 को 3.00 बजे अपराह्ण तक सहायक अभियंता (याँ०), याँत्रिक अवर प्रमण्डल, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा एवं कार्यपालक अभियंता (याँ०), याँत्रिक प्रमण्डल, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा के कार्यालय में प्राप्त की जायेगी एवं प्राप्त कोटेशन उसी दिन दिनांक 05/12/2016 को 3.30 बजे अपराह्ण दोनों कार्यालय में सक्षम पदाधिकारी द्वारा कोटेशन स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही वाहन उपलब्ध कराने हेतु पत्र निर्गत किया जायेगा।

- 2048
23/11/11
- वाहन का प्रकार – विकटा (ए०सी०)/बोलेरो (ए०सी०)/सूमो (ए०सी०)/स्कार्पियो (ए०सी०)
 - वाहन की संख्या – (01 अदद) अधीक्षण अभियंता (याँ०), याँत्रिक अंचल, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कार्य हेतु
 - वाहन चालक सहित होगा एवं चालक का भुगतान वाहन मालिक द्वारा किया जायेगा।
 - वाहन दो वर्षों से अधिक पूराना नहीं होगा एवं वाहन अच्छी हालत में होना चाहिये।
 - वाहन का रख-रखाव वाहन मालिक/कोटेशन दाता को ही करना होगा।
 - वाहन का भाड़ा प्रतिमाह (ईंधन रहित) सभी कर सहित अंकित करना होगा।
 - वाहन खराब होने की स्थिति में वाहन मालिक/कोटेशन दाता का दायित्व होगा की दूसरा वाहन उपलब्ध करायेगे अन्यथा निर्धारित भाड़े की राशि में से कटौती कर ली जायेगी।
 - कोटेशनदाता को को निबंधित होना अनिवार्य होगा तथा कोटेशन के साथ निबंधन प्रमाण-पत्र/पैन कार्ड की अभिप्रामाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा तथा वाहन किसी बीमा कम्पनी से विमित हो इसकी भी छाया प्रति संलग्न होगा।
 - वाहन की उपयोग पूर्व में किसी भी अवैध कार्य में नहीं किया गया है से संबंधित प्रमाण-पत्र कोटेशन में वाहन मालिक/कोटेशनदाता द्वारा संलग्न करना होगा।
 - वाहन चालक के पास अध्यतन एवं वैध ड्राईभिंग लाईसेंस का होना अनिवार्य होगा तथा वाहन चालक के संबंध में चरित्र प्रमाण-पत्र वाहन मालिक/कोटेशनदाता का देना होगा।
 - वाहन की सुरक्षा वाहन चालक/वाहन मालिक/कोटेशनदाता की होगी।
 - कोटेशन का दर एक वर्ष के लिये मान्य होगा।
 - वाहन की प्रतिदिन की गणना शून्य काल से रात्रि के मध्यकाल तक एक दिन मान्य होगा।
 - वाहन का भाड़ा का भुगतान इस कार्य हेतु प्राप्त आवंटन से किया जायेगा एवं इस संबंध में कोई अन्य दावा मान्य नहीं होगा।
 - सशर्त कोटेशन मान्य नहीं होगा।
 - वाहन उपलब्ध कराने के बाद वाहन का रख-रखाव ससमय नहीं करने अथवा वाहन चालक का संबंध असंतोषजनक पाये जाने पर बिना कारण बताये वाहन हटा दिया जायेगा एवं इस संबंध में कोई दावा मान्य नहीं होगा।
 - वहान वीमित (इनस्योर्ड) होना चाहिये तथा परिवहन विभाग के नियम के अनुसार वाहन से संबंधित सभी टैक्स की भरपाई/भुगतान/जमा अध्यतन होना चाहिये।

18. वाहन के उपयोग के लिये लॉग बूक का संधारन वाहन मालिक की जबाबदेही होगी, जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रवृष्टि करेगे जिसके आधार पर भुगतान किया जायेगा।
19. किसी भी समय विना कारण बताये कोटेशन रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा एवं इस संबंध में कोई दावा मान्य नहीं होगा।
20. किसी भी सूचना के लिये पथ निर्माण विभाग के हेल्प लाईन नं 0 18003456161 पर सम्पर्क किया जा सकता है अथवा www.prdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

३०/
कार्यपालक अभियंता (याँ०)
याँत्रिक प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग
दरभंगा।

ज्ञापांक— दरभंगा / दिनांक— 2016
प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु पॉच प्रति में सी० डी० सहित समर्पित।
अनुः— सी०डी०

३०/
कार्यपालक अभियंता (याँ०)
याँत्रिक प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग
दरभंगा।

ज्ञापांक 186 दरभंगा / दिनांक १८-११- 2016
प्रतिलिपि मुख्य अभियंता (अनुश्रवन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सी०डी० सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु समर्पित।
अनुः— सी०डी०

३०/१८११६
कार्यपालक अभियंता (याँ०)
याँत्रिक प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग
१८११६ दरभंगा।